मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०१५

मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, २०१५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. किन्हीं सिविल अथवा आपराधिक कार्यवाहियों को संस्थित किए जाने अथवा जारी रखे जाने के लिए तंग करने वाला मुकदमा लगाने वाले वादी को न्यायालय की अनुमति का आवश्यक होना.

३. अनुमति के बिना संस्थित की गई या जारी रखी गई कार्यवाहियों का खारिज किया जाना.

४. परिसीमा की कालावधि की संगणना के लिये अनुमति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय का अपवर्जन.

५. नियम बनाने की शक्ति.

६. व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०१५.

मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, २०१५

न्यायालयों में तंग करने वाली कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना अथवा उन्हें जारी रखे जाने का निवारण करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम, २०१५ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

किन्हीं सिविल अथवा आपराधिक कार्यवाहियों को संस्थित किए जाने अथवा जारी रखे जाने के लिये तंग करने वाला मुकदमा लगाने वाले वादी को न्यायालय की अनुमति का आवश्यक होना.

२. (१) यदि महाधिवक्ता द्वारा किए गए किसी आवेदन पर उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने आदतन तथा बिना किसी युक्तियुक्त आधार के किसी न्यायालय में या न्यायालयों में एक ही व्यक्ति के अथवा विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध तंग करने वाली सिविल या आपराधिक कार्यवाहियां संस्थित की हैं तो उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को सुने जाने के पश्चात् या उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश दे सकेगा कि उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में, सिविल या आपराधिक कोई भी कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएंगी (और यह भी कि आदेश के पूर्व उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में संस्थित की गई कोई विधिक कार्यवाही उसके द्वारा जारी नहीं रखी जाएगी),—

(क) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना; और

(ख) राज्य में अन्यत्र, जिला और सेशन न्यायायधीश की अनुमति के बिना.

ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई पर महाधिवक्ता किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकेंगे.

(२) ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि यथास्थिति उच्च न्यायालय अथवा न्यायाधीश का समाधान नहीं हो जाता है कि कार्यवाहियां न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग में नहीं हैं और यह कि कार्यवाहियों के लिए प्रथमदृष्टया आधार है.

(३) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो कि उपधारा (१) के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी आदेश की विषय-वस्तु हो, कार्यवाहियां संस्थित किए जाने या उन्हें जारी रखे जाने की अनुमति देने से इंकार करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी:

परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी ऐसी अपील को, अथवा किसी ऐसी कार्यवाही को लागू नहीं होगी जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष की जाना है.

(४) यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति, जिसके कि विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, निर्धनता के कारण किसी अधिवक्ता को नियोजित करने में असमर्थ है तो उच्च न्यायालय उसकी ओर से उपस्थित होने के लिये किसी अधिवक्ता को नियोजित कर सकेगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये "अधिवक्ता" का वही अर्थ होगा जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) की धारा २ के खण्ड (१५) में है.

(५) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को कार्यवाहियां संस्थित करने या उन्हें जारी रखने के पूर्व अनुमति प्राप्त करने के निदेश देने वाले प्रत्येक आदेश को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी अन्य रीति में भी प्रकाशित किया जा सकेगा जैसा कि उच्च न्यायालय उचित समझे.

अनुमति के बिना संस्थित की गई या जारी रखी गई कार्यवाहियों का खारिज किया जाना.

३. किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके कि विरुद्ध अंतिम पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश किया गया है, उस धारा में निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना किसी न्यायालय में संस्थित की गईं या जारी रखी गईं कार्यवाहियां, न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाएंगी:

परंतु यह धारा ऐसी अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये संस्थित किन्हीं कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी.

परिसीमा की कालावधि की संगणना के लिये अनुमति प्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय का अपवर्जन.

४. जहां कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा २ की उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश किया गया है, किसी कार्यवाही को संस्थित किए जाने की अनुमति के लिये आवेदन करता है, तो आवेदन का विनिश्चिय करने के लिये यथास्थिति, उच्च न्यायालय अथवा न्यायाधीश द्वारा अपेक्षित समय, ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विहित परिसीमा की कालावधि (यदि कोई हो) की संगणना में अपवर्जित कर दिया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—ऐसे समय को अपवर्जित करने में, वह तारीख जिसको कि अनुमति के लिये समुचित प्राधिकारी को आवेदन किया गया था तथा वह तारीख जिसको कि ऐसे प्राधिकारी ने आवेदन पर उसका आदेश किया है, दोनों की गणना की जाएगी.

नियम बनाने की शक्ति.

५. उच्च न्यायालय इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बिना सकेगा.

व्यावृत्ति.

६. इस अधिनियम के उपबंध, तंग करने वाली कार्यवाहियों या विधिक प्रक्रिया के अन्य दुरुपयोग का निवारण करने के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किन्हीं अन्य उपबंधों के अथवा उन कार्यवाहियों के, जिन्हें कि किए जाने, संस्थित अथवा जारी रखे जाने के लिये किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी अथवा अनुमोदन चाहे वह किसी भी रूप में हो, आवश्यक हो, अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकारक.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह देखा गया है कि लोगों में अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसे अन्य व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाने, परेशान करने या चिढ़ाने के आशय से बिना किसी युक्तियुक्त आधार के तंग करने वाले मुकदमे लगाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है. सरकार ने इस मामले पर विचार किया और यह विनिश्चय किया है कि एक यथोचित विधायन अधिनियमित किया जाकर इस प्रवृत्ति को रोका जाए.

२. विधेयक की वांछा उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने की है.

भोपाल :
तारीख १७ मार्च, २०१५

सुश्री कुसुम सिंह महदेले
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

* * * * *

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-१(३) द्वारा अधिनियम को प्रभावशील किये जाने की तिथि अधिसूचित किए जाने हेतु राज्य सरकार एवं खण्ड ५ द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के संबंध में नियम बनाये जाने हेतु उच्च न्यायालय को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है. उक्त प्रत्यायोजन सामान्यस्वरूप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.